




## कार्यालय कलेक्टर (जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी) सिवनी जिला सिवनी

क्रमांक / 2162 /जिईगसो/2020

सिवनी दिनांक 21/03/2020

### आदेश

नोबल कोरोना बायरस (कोविड-19) का संक्रमण पूरे देश में फैल रहा है। संक्रमण के फैलाव को रोकने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त आधार पंजीयन एवं अपडेशन केन्द्र दिनांक 21/03/2020 से आगामी आदेश तक बंद किये जाते हैं। आदेश दिनांक से किसी भी आधार केन्द्र पर आधार पंजीयन एवं अपडेशन का कार्य नहीं किया जावेगा। यदि किसी आधार सुपरवाइजर/आपरेटर द्वारा आदेश की आवेल्हना की जाती है तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।

  
(प्रवीण सिंह)  
कलेक्टर  
जिला सिवनी

पृ क्रमांक / 2162 A /जिईगसो/2020  
प्रतिलिपि -

सिवनी दिनांक 21/03/2020

- 1- प्रबंधक संचालक, राज्य स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।
- 5- समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।
- 7- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।
- 8- समस्त विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (बीआरसी) जिला सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।
- 9- समस्त परियोजना अधिकारी, जिला सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।


10- जिला समन्वयक, नागरिक सुविधा केन्द्र जिला सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।

11- जिला समन्वयक, एमपीऑनलाईन जिला सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।

12- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत सिवनी, बरघाट, लखनादौन की ओर सूचनार्थ कर लेख कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।

13- समस्त पंचायत सचिव, जिला सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ संचालित आधार सेंटर तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।

14- समस्त आधार सुपरवाइजर/आधार आपरेटर की ओर पालनार्थ । आगामी तिथि तक समस्त आधार सेंटर बंद रखे जाने हेतु ।

  
कलेक्टर  
जिला सिवनी